

// मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर //

::- संक्षिप्त कोटेशन आमंत्रण सूचना:-

क्रमांक- 299

दिनांक:- 05/02/2026

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सील बंद लिफाफे में निम्नलिखित वर्दी सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विभागीय पोर्टल <https://mphc.gov.in> पर भी कोटेशन के नियम एवं शर्तें उपलब्ध हैं।

1. ब्लू ब्लेजर क्लॉथ (कोरियन)	—	305.10 मीटर
2. ब्लू साड़ी सैट (साड़ी, ब्लाउज, पेटिकोट)	—	24 सैट
3. गाँधी टोपी (सफेद)	—	176 नग

पंजीकृत संस्थाएं निविदा म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आवक शाखा में दिनांक 12/02/2026 को दोपहर 01:30 बजे तक सील/बंद लिफाफे में वर्दी नमूने सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियम एवं शर्त :-

1. निविदा के साथ संबंधित फर्म के क्लॉथ/सामग्री के सैम्पल संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा में फर्म का सम्पर्क नम्बर अवश्य अंकित हो।
2. ब्लू ब्लेजर क्लॉथ के 2.20 मी0 एवं 2.50 मी0 के कटपीस प्रदाय किये जाने होंगे।
3. वर्दी सामग्री की उल्लेखित संख्या में वृद्धि या कमी हेतु प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सक्षम है।
4. ब्लू ब्लेजर क्लॉथ में नमूने प्रदाय शेड से वेरिएशन नहीं आना चाहिए सभी कटपीस के सेड एक जैसे होना चाहिए साथ ही वर्दी बनवाये जाने के बाद कपड़ा सिकुड़ना अथवा रसे नहीं आने चाहिए। फैब्रिक में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखा जावे।
5. सफल निविदाकर्ता को क्रय आदेश मिलने के 20 दिवस के अंदर वर्दी सामग्री प्रदाय की जानी होगी, अन्यथा विलम्ब हेतु पेनाल्टी देय होगी।
6. फर्म को निविदा में जीएसटी नम्बर एवं पैन नम्बर का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. सफल निविदाकर्ता को कोई अग्रिम देय नहीं होगा। प्रदाय सामग्री का वेरीफिकेशन पश्चात् नियमानुसार टैक्स कटोत्री पश्चात् भुगतान ई-पेमेंट से संस्था को किया जावेगा।
8. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा।


प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
खण्डपीठ इन्दौर